

भाकृअनुप-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ।

सेवा में,

दिनांक: 04/05/2026

प्रभारी अधिकारी, (ऐ.के.एम.यू)
भाकृअनुप-आई.आई.एफ.एस.आर., मोदीपुरम, मेरठ।

महोदय,

निवेदन है कि संस्थान के मुख्य प्रक्षेत्र एवं सिवाया प्रक्षेत्र पर स्थित फलदार पेड़ों के फलों की नीलामी का ठेका दिया जाना है। अतः उक्त सूचना संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (प्रक्षेत्र)

नीलामी सूचना

भाकृअनुप-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मोदीपुरम, मेरठ-250 110 (उ.प्र.)

फलदार वृक्षों के फलों के लिये समयावधि- 11 मई 2026 से 28 फरवरी 2027 तक

संस्थान के फलदार वृक्षों के फलों की नीलामी के लिये इच्छुक ठेकेदारों/खरीददारों से मोहरबन्द निविदाओं के लिये दिनांक 05 मई 2026 से 10 मई 2026 दोपहर बाद 1 बजे तक संस्थान की वेब साइट <https://iifsr.icar.gov.in> निविदा सूचना व विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा कार्य दिवसों में संस्थान के फार्म अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निविदा 11 मई को अपरान्ह 2.30 बजे खोली जाएगी।

प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र

भाकृअनुप-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उ.प्र.)

फलदार वृक्षों के फलों के लिये निविदा प्रपत्र:- अवधी 11 मई 2026 से 28 फरवरी 2027 तक
वर्तमान वर्ष आम का फलन वर्ष (Fruiting Year) है।

1. क्रेता का पूरा नाम:.....
2. क्रेता का पूरा पता:.....
3. क्रेता का पूरा मोबाइल नं:.....ईमेल पता.....
4. आधार नम्बर (स्व-प्रमाणित फोटो कापी सहित).....

(न्यूनतम बोली रुपये एक लाख चालीस हजार रुपए मात्र की होगी)

क्रेता द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त दरों की तालिका:-

क्र.	फलदार वृक्षों के नाम व संख्या		
1.	मुख्य प्रक्षेत्र: आई.एफ.एस. (डा. आर. पी. मिश्रा),		नोट:-1.क्रेता दरें भरने से पूर्व वर्तमान फलदार पेड़ों की संख्या की गणना, नियम व शर्तें तथा वर्तमान स्थिति का अवलोकन/ आंकलन अवश्य कर लें जिससे बाद में कोई विवाद न हों। 2.समस्त उपरोक्त फलवृक्षों की एकमुश्त दरें अंको और शब्दों में देना अनिवार्य है।
	आम	12 पेड़	
	आंवला	04 पेड़	
	बेल	11 पेड़	
	अमरुद	170 पेड़	
	कटहल	15 पेड़	
	नींबू	40 पेड़	
	सेब	08 पेड़	
	आड़ू	05 पेड़	
	केला	10 पेड़	
	करोन्दा	130 मीटर	
	ड्रैंगन फ्रूट	95 पेड़	
	पपीता	15 पेड़	
	अनाशपाती	23 पेड़	
जामुन	2 पेड़		
2.	सिवाया फार्म पर (डा. पूनम) प्रयोग के फलदार पेड़		टेकेदार का पूरा नाम व हस्ताक्षर
	आम आम्रपाली	47 पेड़	
	आम दशहरी	85 पेड़	
	अमरुद	102 पेड़	
3.	पुरानी बिल्डिंग परिसर में आम का 1 पेड़ एवं केन्टीन के पीछे आम के 2 पेड़		मोबाइल नं-
	टेक्नोलॉजीपार्क/आईएफएस मॉडल अमरुद 24 पेड़ आम 10 पेड़		
4.	टेक्नोलॉजीपार्क/आईएफएस मॉडल अमरुद 24 पेड़ आम 10 पेड़		नोट:- निविदा के नियम एवं शर्तें सलंगन हैं।
	आग्रेनिक/प्राकृतिक मॉडल(टेक्नोलॉजीपार्क) अमरुद 25 पेड़ अजीर 13 पेड़		
5.	आग्रेनिक/प्राकृतिक मॉडल(टेक्नोलॉजीपार्क) अमरुद 25 पेड़ अजीर 13 पेड़		

नीलामी के नियम व शर्तें

वर्तमान वर्ष आम का फलन वर्ष (Fruiting Year) है।

1. निविदादाता/क्रेता को खरीद की दरें अंको व शब्दों दोनों में एक मुश्त भरना अनिवार्य हैं।
2. निविदादाता/क्रेता को बागवानी के फलदार वृक्षों के फलों की रखवाली, तुड़ाई बिना वृक्षों को क्षति पहुंचाये स्वयं के श्रमिकों से ही कराना होगा तथा तुड़ाई के बाद उसका वजन करवाकर व संबंधित वैज्ञानिक/ अधिकारी को नोट करवाकर स्वयं के साधन से ले जाना होगा। निविदा 11मई 2026 से 28 फरवरी 2027 तक के लिए होगी।
3. न्यूनतम बोली रुपये 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार रुपए मात्र) की होगी।
4. निविदादाताओं को धरोहर राशि के रूप में रुपये 35,000/- डिमांड ड्राफ्ट, जो ICAR Unit IIFSR, Modipuram के नाम देय होगा, अथवा रुपये 35,000/- नकद निविदा प्रपत्र के साथ लगाना/ जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 05 मई 2026 से 10 मई 2026 दोपहर 1,00 बजे तक संस्थान की वेब साईट <https://www.iifsr.res.in>, <https://iifsr.icar.gov.in> से डाऊनलोड कर सकते हैं अथवा फार्म अनुभाग से दिनांक 05 मई 2026 से 10 मई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक निःशुल्क प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरे हुये मोहरबन्द लिफाफे में रखकर दिनांक 00 मई 2026 को दोपहर बाद अधिकतम 2 बजे तक संस्थान के रिसेप्शन कक्ष में रखी निविदा पेटिका में जमा कराना/डालना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुये मोहरबन्द लिफाफे के उपर "फलदार वृक्षों के फलों की नीलामी" व पता श्रीमान निदेशक महोदय, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ, पिन 250110 भी लिखा जाना है। उसी दिन दोपहर बाद 2.30 बजे समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष निविदाएं खोली जायेगी।
5. जिस सफल निविदादाता की दरें अधिकतम होगी उनकी निविदा की कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त प्रभाव से 05 कार्य दिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा संस्थान में अनिवार्यतया जमा कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि को भी अधिकतम 15 दिनों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट ICAR Unit IIFSR, Modipuram के नाम देय होगा अथवा नगद संस्थान में जमा कराना होगा। यदि अधिकतम बोलीदाता किन्ही कारणों से नीलामी से मुकरता या बोली खुलने के पश्चात बोली लेने में अपनी असहमती दर्शाता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त की जाएगी एवं किसी भी दशा में जमानत राशि नहीं लौटाई जाएगी जिसके पश्चात निविदा/नीलामी अगले क्रम में अन्य निविदादाता को देने का अन्तिम निर्णय संस्थान के निदेशक द्वारा ही लिया जा सकता है जिसमें किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं है। बोली सफल होने पर सफल निविदा दाता की जमानत धनराशि को छोड़कर शेष अन्य निविदादाताओं की संलग्न जमानत धनराशि रुपये पच्चीस हजार के डी.डी./ नकद मूल रूप में एक सप्ताह में वापिस कर दी जायेगी।
6. सभी फलदार वृक्षों के फलों की तुड़ाई की संविदा समाप्ति के उपरान्त समयावधि समाप्त होने तक क्रेता की जमा धरोहर राशि संस्थान में उसके द्वारा आवेदन करने पर ही वापस की जायेगी। यदि क्रेता वर्ष के दौरान नीलामी किये गये फलदार वृक्षों के फलों को छोड़ कर जाता है तो इसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार को एक फसलचक्र के फल ले जाने की ही अनुमति होगी।
7. निविदा प्रपत्र खोलते समय निविदादाताओं को समिति के समक्ष संस्थान के सभागार में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता/क्रेता को प्रयोग के वैज्ञानिकों को प्रत्येक प्रजाति से 5 किग्रा फल (आवश्यकतानुसार) प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिये देना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिये दिये जाने वाले फलों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। संबंधित वैज्ञानिकों को दिये जाने वाले फलों के वजन का रिकार्ड संबंधित वैज्ञानिक/ अधिकारी को दर्ज कराना अनिवार्य होगा जिससे प्रयोगात्मक विश्लेषण का सही आंकलन कार्यालय स्तर पर किया जा सके।
9. सभी फलों का वजन संबंधित वैज्ञानिकों के रजिस्टर में दर्ज कराकर ही फलों को ले जाना होगा।
10. संस्थान द्वारा समय-समय पर फलदार वृक्षों के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जायेगा, एवं सिंचाई, पौध संरक्षण, कटाई-छंटाई एवं अन्य रसायनों का उपयोग संबंधित वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी होगी एवं उक्त को संबंधित विभागाध्यक्ष के संज्ञान में भी लाना अनिवार्य होगा। सिंचाई स्वयं क्रेता को ही करनी होगी। इसके साथ ही फलों और फल वृक्षों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भी क्रेता/ठेकेदार की ही होगी।
11. क्रेता को संस्थान के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ पूर्ण शालीनतापूर्वक व्यवहार करना होगा। किसी भी दशा में क्रेता अथवा उसके साथियों द्वारा कोई भी नुकसान अथवा गलत व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्रेता से ही की जायेगी और गलत व्यवहार करने पर सभी प्रकार की कार्रवाई संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
12. प्रक्षेत्र के सभी फलदार वृक्ष (परिसर स्थित आवासीय कालोनी के अतिरिक्त) ठेके में शामिल हैं। इनके फल ठेकाकर्ता के रहेगे।
13. नीलामी छोड़नें/संशोधन करने अथवा किसी भी स्तर/समय पर नीलामी को रद्द करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास ही सुरक्षित रहेगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद अमान्य होगा।

निविदा के सभी नियम व शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार्य हैं।

निविदादाता का पूरा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षर:-
मोबाईल न-